1. सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 से अधिशासित है। कम्पनियों के लेखों की लेखापरीक्षा सी0ए0जी0 द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है। इन लेखों की अनुपूरक लेखापरीक्षा सी0ए0जी0 के द्वारा भी की जाती है। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे सम्बन्धित विधानों से शासित होती है। 31 मार्च 2013, तक बिहार राज्य में 31 कार्यशील (28 कम्पनियाँ तथा तीन सांविधिक निगम) एवं 40 अकार्यशील सा0क्षे0 उपक्रमों (सभी कम्पनियाँ) थे जिनमें 0.16 लाख कर्मचारी कार्यरत थे। अद्यतन अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार राज्य कार्यशील सा0क्षे0 उपक्रमों ने ₹ 4857.63 करोड़ का आवर्त प्राप्त किया। 30 सितम्बर 2013 तक अपनी अद्यतन अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार सा0क्षे0 उपक्रमों की कुल हानि ₹ 1109.82 करोड़ थी।

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निवेश

31 मार्च 2013 तक, 71 सा0क्षे0 उपक्रमों में ₹ 8321.80 करोड़ का निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) था । वर्ष 2012–13 में कुल निवेश का 66.88 प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्र में था। वर्ष 2012–13 में, सरकार ने ₹ 5094.08 करोड़ पूँजी, ऋण और अनुदान/साहाय्य के लिए दिये।

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का निष्पादन

अद्यतन अन्तिमीकृत किए गए लेखों के अनुसार, 31 कार्यशील सा0क्षे0 उपक्रमों में से 15 सा0क्षे0 उपक्रमों ने ₹ 135.74 करोड़ का लाभ अर्जित किया तथा 10 सा0क्षे0 उपक्रमों को ₹ 1222.18 करोड़ की हानि हुई। लाभ में योगदान करने वालों में बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड (₹ 37.36 करोड़) एवं बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड(₹ 24.15 करोड़) एवं बिहार राज्य विवरेज डेवलपमेन्ट (₹ 12.42 करोड़) मुख्य थे। अद्यतन अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार अप्रैल 2012 से अक्टूबर 2012 की अवधि हेतु निर्वतमान बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने अधिक हानि (₹ 1087.63 करोड़) वहन किया था।

लेखापरीक्षा द्वारा सा0क्षे0 उपक्रमों के कार्यकलापों में कई त्रुटियाँ पायी गयीं। सी0ए0जी0 की अद्यतन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समीक्षा दर्शाती है कि राज्य कार्यशील सा0क्षे0 उपक्रमों ने, उनके वित्तीय प्रबन्धन, योजना एवं कार्यान्वयन में त्रुटियों के कारण ₹ 2495.44 करोड़ की हानि वहन की तथा ₹ 52.23 करोड़ का निवेश निष्फलित रहा।

लेखों की गुणवत्ता

सा0क्षे0 उपक्रमों के लेखों की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। वर्ष 2012–13 में सभी 21 लेखों पर सांविधिक लेखापरीक्षक ने सशर्त प्रमाण–पत्र दिया। कम्पनियों द्वारा लेखांकन मानकों का अनुपालन कमजोर रहा क्योंकि वर्ष के दौरान सात लेखों में लेखांकन मानकों के उल्लंघन सम्बन्धित 15 उदाहरण पाए गए।

बकाया लेखे एवं समापन

30 सितम्बर 2013 तक 31 कार्यकारी सा0क्षे0 उपक्रमों में से 29 सा0क्षे0 उपक्रमों के 196 लेखे बकाया में थे। बकाया लेखों की अवधि एक से 23 वर्षों तक थी। यहाँ 40 अकार्यशील सा0क्षे0 उपक्रमें थी, जिनमें सात समापन की प्रक्रिया में थे।

(अध्याय–I)

2. सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा

2.1 '**बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की वित्त एवं वसूली सम्बन्धित गतिविधियों**' की निष्पादन लेखापरीक्षा की गई। लेखापरीक्षा परिणामों पर कार्यकारी सारांश निम्नवत् है:

परिचय

बिहार राज्य में पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लाभ के लिए, आर्थिक और विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने कम्पनी अधिनियम, 1956, के अन्तर्गत बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (कम्पनी) की स्थापना की। कम्पनी पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। कम्पनी, सरकार/राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (रा0पि0व0वि0वि0नि0) द्वारा जारी किए गए निर्देशों एवं मार्गदर्शिका के अनुसार सम्भावित लाभार्थियों की पहचान तथा योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है।

कम्पनी का वित्तीय प्रबन्धन

कम्पनी का वित्तीय प्रबन्धन त्रुटिपूर्ण था क्योंकि वसूली–राशि रा0पि0व0वि0वि0नि0 की देयताओं के उन्मोचन के लिए अपर्याप्त थी। 2010–11 के दौरान ₹ पाँच करोड़ का भुगतान कम्पनी द्वारा अपने स्वयं के निधि (अंश पूँजी) से किया गया था। अपर्याप्त वसूली तथा रा0पि0व0वि0वि0नि0 के ऋण का पुनर्भुगतान नहीं करने के कारण, रा0पि0व0वि0वि0नि0 ने ₹ 114.39 करोड़ की संस्वीकृत ऋण को कम्पनी को विमुक्त नहीं किया जिससे योजनाओं के कार्यान्वयन प्रतिकूल रुप से प्रभावित हुए। कम्पनी के लेखे वर्ष 1998–99 से बकाए में थे।

कम्पनी की ऋण देने तथा वसूली सम्बन्धित गतिविधियाँ

रा0पि0व0वि0वि0नि0 शिक्षा ऋण योजना

रा0पि0व0वि0वि0नि0 द्वारा निधियों के विमुक्त नहीं किए जाने के कारण इस योजना के अन्तर्गत किसी नए ऋण का संवितरण नहीं किया गया। 49 लाभार्थियों ने, जिनको ₹ 97.58 लाख की शिक्षा ऋण संवितरित की गयी थी, उनके पाठ्यक्रम पूरा होने के बावजूद ऋण का पुनर्भुगतान आरम्भ नहीं किया था।

रा0पि0व0वि0वि0नि0 का आवधिक ऋण

वर्ष 2008–13 के दौरान कोई नया आवधिक ऋण संस्वीकृत नहीं की गई। मार्च 2013 को समाप्त हुए पाँच वर्ष के लिए, कम्पनी द्वारा संवितरित ऋण के विरुद्ध वसूली निराशाजनक थी तथा उसका परास कुल बकाया राशि के 0.21 प्रतिशत तथा 1.26 प्रतिशत के बीच था।

मुख्यमंत्री निःशक्तजन शिक्षा ऋण योजना

वर्ष 2008–13 के दौरान, योजना के अन्तर्गत प्राप्त ₹ 3.46 करोड़ में से केवल ₹ 1.50 करोड़ वितरित किया जा सका। निम्न संवितरण का मुख्य कारण सरकार द्वारा निर्देशों को अंतिम रुप देने में विलम्ब था। कम्पनी ने कुल संवितरण के विरुद्ध केवल ₹ 1.16 लाख वसूल किया।

मुख्यमंत्री निःशक्तजन स्वरोजगार ऋण योजना

योजना के अंतर्गत प्राप्त ₹ 5.19 करोड़ की राशि के विरुद्ध, कम्पनी मात्र ₹ 1.89 करोड़ संवितरित कर सकी तथा शेष राशि ₹ 3.30 करोड़ असंवितरित रही तथा यह मार्च 2013 तक कम्पनी के पास अप्रयुक्त पड़ी थी। इसके अतिरिक्त नियंत्रण प्रणाली की कमी के परिणामस्वरुप ₹ 1.89 करोड़ के कुल संवितरण के विरुद्ध ₹ 1.21 लाख की वसूली निराशाजनक थी।

छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता

मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना (एम0एम0ए0पी0वी0एम0वाइ0)

299 विद्यार्थियों को उनके अत्यन्त पिछड़ी स्थिति को सत्यापित किए बिना लाभ दिया गया।

कम्पनी द्वारा जिला कल्याण कार्यालयों/जिला शिक्षा कार्यालयों से लाभार्थियों का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं किए गए थे। इसके अतिरिक्त

जिला कल्याण कार्यालय/जिला शिक्षा कार्यालय अप्रयुक्त राशि लौटाने में तत्पर नहीं थे तथा असंवितरित राशि विभिन्न बैंक खातों में एवं अप्रयुक्त बैंक ड्राफ्ट के रुप में उनके साथ पड़ा हुआ था।

मानव–शक्ति

मानव–शक्ति की कमी ने कम्पनी के कार्यकलाप को प्रतिकूल ढ़ंग से प्रभावित किया तथा इसे निदेशक मण्डल के बैठक में प्रभावी ढ़ंग से नहीं निपटाया गया।

आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली

कम्पनी में एम0आई0एस0 विद्यमान नहीं था। वितरित निधि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण–पत्र की प्राप्ति के लिए कोई भी प्रणाली कम्पनी द्वारा विकसित नहीं की गयी थी।

मूलधन और ब्याज के रुप में वसूली योग्य राशि का ऋणी–वार विवरण दिखाने वाला खाता को ठीक से संधारित नहीं किया गया था और ऋण की वसूली के लिए कोई प्रभावी निगरानी नहीं थी।

निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वित्त पोषण और वसूली के संबंध में कम्पनी का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं था। विस्तृत योजना तैयार नहीं किए जाने से योजनाओं का तुच्छ क्रियान्वयन हुआ तथा लक्षित लाभार्थी वांछित लाभ से वंचित रह गये। कम्पनी के कामकाज के संबंध में सरकार की भूमिका त्रुटिपूर्ण थी जैसा कि मार्गदर्शिका तैयार करने और निर्देश जारी करने तथा निदेशक–मण्डल के गठन में विलम्ब से परिलक्षित होता है।

कम्पनी का वित्तीय प्रबंधन त्रुटिपूर्ण था क्योंकि निम्न वसूली, विभिन्न ऋण/छात्रवृत्ति योजनाओं से संबंधित निधि की अप्रयुक्तता, निधि की अवरुद्धता और लेखों के अंतिमीकरण में विलम्ब के दृष्टांत पाए गए।

संवितरित निधि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी।

लाभार्थियों से वसूली के अनुसरण के लिए प्रणाली संतोषजनक नहीं था। मानव–शक्ति की कमी ने कम्पनी के कामकाज को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित किया। कम्पनी में विद्यमान आंतरिक नियंत्रण तथा अनुश्रवण तंत्र दोषपूर्ण था।

कम्पनी को लक्षित लाभार्थियों को ऋण निधि के वितरण के लिए एक विस्तृत योजना विकसित करने की आवश्यकता है तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने तथा वसूली तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए एक प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है।

मानव–शक्ति की कमी को निदेशक मण्डल द्वारा प्रभावी ढ़ंग से निपटाया जाना चाहिए, एवं कम्पनी में प्रचलित आंतरिक नियन्त्रण और अनुश्रवण तंत्र को सुव्यवस्थित और सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है।

(अध्याय-2.1)

2.2 'बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड की वित्त एवं वसूली सम्बन्धित गतिविधियों' की निष्पादन लेखापरीक्षा की गई। लेखापरीक्षा परिणामों पर कार्यकारी सारांश निम्नवत् है:

परिचय

बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड (कम्पनी) की स्थापना कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा मार्च 1984 में की गई थी। कम्पनी बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत है। कम्पनी वर्णित मानदण्ड के आधार पर सरकार/राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (रा0अ0वि0वि0नि0) के विभिन्न योजनाओं के लिए योग्य लाभार्थियों का चयन करने हेतु उत्तरदायी है तथा भौतिक सत्यापन के बाद लाभार्थियों का चयन एक समिति के द्वारा किया जाता है जिसमें जिला प्राधिकारों , अग्रणी बैंक तथा उद्योग एवं व्यापार निदेशालय का प्रतिनिधित्व होता है।

वार्षिक कार्रवाई योजना

आवंटित निधि के विरुद्ध उद्देश्य पत्र के नियम एवं शर्तों के अनुपालन में कम्पनी की असफलता के कारण रा0अ0वि0वि0नि0 द्वारा ₹ 45.20 करोड़ की राशि वर्ष 2008–13 की अवधि के दौरान कम्पनी को संवितरण हेतु मुक्त नहीं की गई।

कम्पनी का वित्तीय प्रबंधन

कम्पनी का वित्तीय प्रबंधन त्रुटिपूर्ण था क्योंकि वसूली रा0अ0वि0वि0नि0 की देयता का उन्मोचन करने में अपर्याप्त था। वर्ष 2010–11 के दौरान कम्पनी ने अपनी निधि (अंश पूँजी) से ₹ 12.99 करोड़ का पुनर्भुगतान किया।

कम्पनी की ऋण देने तथा वसूली सम्बन्धित गतिविधियाँ

आवधिक ऋण योजना

कम्पनी ने ₹ 21.27 करोड़ प्राप्त किया जिसमें से वर्ष 2008–13 के दौरान ₹ 16.66 करोड़ का उपयोग किया गया। सारण प्रमंडल में प्राप्त 361 आवेदनों में 22 चयनित आवेदनों में आय प्रमाण–पत्र नहीं था जो चयन हेतु पूर्वापेक्षित था। पटना प्रमंडल में मूल 84 आवेदकों के नाम चयन हेतु कभी विचार नहीं किए गए। लाभार्थियों के 49 नमूना जाँच किये गए आय प्रमाण–पत्रों में 16, जारी करने वाले पदाधिकारी (अंचल कार्यालय) के अभिलेखों के अनुसार त्रुटिपूर्ण पाए गए। मार्च 2013 को समाप्त पाँच वर्षों के दौरान कम्पनी द्वारा की गई वसूली निराशाजनक थी तथा इसका परास वसूली योग्य कुल राशि के 3.24 तथा 4.65 प्रतिशत के बीच था।

शिक्षा ऋण योजना

कम्पनी ने वर्ष 2008–13 की अवधि में ₹ 2.13 करोड़ प्राप्त किया जिसमें उपर्युक्त अवधि में ₹ 1.46 करोड़ का संवितरण किया गया। निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण इस योजना के अंतर्गत नए ऋण का संवितरण वर्ष 2009–10 में नहीं हो सका। निधि की उपलब्धता होने के बावजूद वर्ष 2011–12 की अवधि के दौरान कम्पनी द्वारा ऋण का संवितरण नहीं किया गया। शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत ऋण के पुनर्भुगतान का अनुसरण नहीं किया गया क्योंकि लाभार्थियों ने कम्पनी को न तो उनके पाठ्यक्रम पूर्ण होने और/अथवा स्वरोजगार की सूचना दी न ही कम्पनी ने ऋणियों से इस पहलू को सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रयास किया।

माइक्रो–क्रेडिट योजना

माइक्रो क्रेडिट योजना के अंतर्गत कम्पनी द्वारा गैर सरकारी संगठनों की वित्तीय साख/ट्रैक रिकॉर्ड का सत्यापन किए बिना 305 लाभार्थियों के लिए तीन गैर सरकारी संगठनों के अनुरोध पर ₹ 48.21 लाख की राशि मुक्त की गई जिसमें ₹ 43.50 लाख की राशि चार वर्षों के बाद भी वसूली नहीं जा सकी। माइक्रो क्रेडिट योजना कम्पनी द्वारा वर्ष 2009–10 से बंद कर दी गई।

छात्रवृत्ति, कोचिंग तथा कौशल विकास के अंतर्गत वित्तीय सहायता

मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति योजना (केन्द्रीय)

वर्ष 2008–09 की अवधि के दौरान मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति योजना (केन्द्रीय) के अंतर्गत अप्रयुक्त निधि की प्रतिशतता का परास 11.31 से 54 प्रतिशत के बीच था। वर्ष 2011–12 से ₹ 14.01 करोड़ की राशि कम्पनी के पास अप्रयुक्त पड़ी थी।

कम्पनी ने वर्ष 2010–11 में चार अस्तित्वहीन निजी महाविद्यालयों को उनकी प्रामाणिकता सुनिश्चित किए बिना ₹ 25.02 लाख की राशि संवितरित किया।

मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति योजना (राज्य)

मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति योजना (राज्य) के अंतर्गत कम्पनी द्वारा 456 छात्रों को ₹ 18.24 लाख की राशि मुक्त की गई जिसके विरुद्ध राशि पहले ही मैट्रिक उपरान्त छात्रवृत्ति योजना (केन्द्रीय) के अंतर्गत मुक्त कर दी गई थी। फलस्वरुप इस योजना के अंतर्गत अन्य योग्य विद्यार्थी लाभ लेने से वंचित रहे।

कोचिंग योजना के अंतर्गत उद्देश्यों की अनुपलब्धि

विभाग द्वारा संस्थापित समिति द्वारा अनुश्रवण करने में असफलता के कारण वर्ष 2007–11 के दौरान प्राप्त ₹ 4.67 करोड़ में ₹ 3.69 करोड़ की राशि का उपयोग नहीं हो सका जिसे अंततः कम्पनी द्वारा विभाग को लौटा दी गई।

मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना

योजना के अंतर्गत प्राप्त ₹ तीन करोड़ में कम्पनी ने केवल ₹ 14 लाख का उपयोग किया तथा शेष ₹ 2.86 करोड़ चार वर्षों से अधिक अप्रयुक्त रह गए। इस प्रकार, अभीष्ट लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत लाभ से वंचित रहे।

मानव–शक्ति

कम्पनी में मानव–शक्ति का अभाव था जिससे योजनाओं के कार्यान्वयन संबंधी कंपनी के कार्य प्रभावित हुए।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

निधियों के संवितरण के संबंध में उपयोगिता प्रमाण–पत्र को प्राप्त करने हेतु कोई प्रणाली विकसित नहीं की गई। बाह्य स्रोत अभिकरण/संविदात्मक कर्मचारियों द्वारा तैयार किए गए योग्य विद्यार्थियों की सूची के सत्यापन की प्रणाली नहीं थी जिसके कारण छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत निधि अधिक/दुबारा मुक्त हुआ।

निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्त पोषण तथा वसूली में कम्पनी का निष्पादन संतोषजनक नहीं था। कम्पनी द्वारा विस्तृत योजना तैयार नहीं की गई थी। सरकार की भूमिका भी दोषपूर्ण थी क्योंकि इसने कोचिंग योजनाओं हेतु समिति के कार्यान्वयन का प्रभावी अनुश्रवण नहीं किया। कम्पनी का वित्तीय प्रबंधन दोषपूर्ण था। अभीष्ट लाभार्थियों की पहचान तथा वित्तीय सहायता के संवितरण में कार्याविधिक चूक थे। इसके अलावा, उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की कोई प्रणाली नहीं थी। लाभार्थियों से वसूली हेतु अनुसरण प्रणाली संतोषजनक नहीं था। आंतरिक नियंत्रण दोषपूर्ण था।

कम्पनी के लिए आवश्यक है : ऋण/छात्रवृति निधि का संवितरण तथा इसकी वसूली हेतु विस्तृत योजना विकसित करना, निधियों के समयबद्ध उपयोगिता के लिए एक प्रणाली विकसित करना, योग्य लाभार्थियों की पहचान के लिए डाटा बेस विकसित करना, वसूली तंत्र को सुदृढ़ करना तथा आंतरिक नियंत्रण सुधारना।

(अध्याय – 2.2)

3. सांविधिक निगम से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा

'बिहार राज्य भण्डारण निगम की भण्डारण गतिविधियों' की निष्पादन लेखापरीक्षा की गई। लेखापरीक्षा परिणामों पर कार्यकारी सारांश निम्नवत् है:

परिचय

बिहार राज्य भण्डारण निगम (निगम) की स्थापना कृषि उत्पाद (विकास एवं भण्डारण) निगम अधिनियम, 1956 के अधीन मार्च 1957 में हुई थी। 31 मार्च 2013 को निगम के पास कुल 31.99 लाख मेट्रिक टन (एम0टी0) की उपलब्ध क्षमता सहित 37 भण्डारण केन्द्र था।

भण्डारण गतिविधियों में त्रुटियाँ

प्राथमिक उत्पादनकर्ताओं (किसानों) को लाभ का उपार्जन नहीं होना

स्टॉकों के वैज्ञानिक भण्डारण के सम्बन्ध में किसानों को शिक्षित करने में निगम द्वारा पहल नहीं किए जाने के फलस्वरुप निगम अपने मुख्य उद्देश्य यथा प्राथमिक उत्पादनकर्ताओं को भण्डारण सुविधा प्रदान करने में विफल रहा।

स्टॉक में कमी के कारण हानि

राज्य भण्डारण केन्द्रों (एस0डब्ल्यू0सी0) की नियमित भौतिक सत्यापन में त्रुटिपूर्ण अनुश्रवण के फलस्वरुप खाद्यान्नों में कमी के कारण निगम को ₹ 12.63 करोड़ की क्षति हुई।

प्रथम आगत प्रथम निर्गत (फीफो) विधि का अनुपालन नहीं होना

एस0डब्ल्यू0सी0, बेतिया और एस0डब्ल्यू0सी0, रक्सौल में क्रमशः 448 एम0टी0 एवं 269 एम0टी0 चावल वर्ष 2010–11 से ही फीफो विधि नहीं अपनाए जाने के कारण निर्गत नहीं हो सका। चावल, जिसकी कुल कीमत ₹ 1.42 करोड़ थी, बदरंग, संक्रमित, अत्यधिक खण्डित एवं निर्गमन हेतु अयोग्य हो गए।

अत्यधिक क्षमता का विनियोजन

एस0डब्ल्यू0सी0, मुजफ्फरपुर में आवश्यकता से अधिक गोदामों के विनियोजन के कारण निगम कुल 98,000 एम0टी0 भण्डारण क्षमता का उपयोग नहीं कर सका जिसके फलस्वरुप भण्डारण शुल्क के मद में ₹ 0.54 करोड़ की संभाव्य हानि हुई।

भण्डारण हानि की वसूली नहीं होना

एस0डब्ल्यू0सी0, सासाराम में भण्डारण हानि की माफी हेतु भण्डारण हानि का मासिक प्रतिवेदन एफ0सी0आई0 को समर्पित नहीं किया गया था। इसके फलस्वरुप ₹ 1.05 करोड़ की राशि की वसूली नहीं हो सकी (अगस्त 2013)। अक्टूबर 2009 से फरवरी 2011 के दौरान उसी केन्द्र से 145 एम0टी0 गेंहूँ और 171 एम0टी0 चावल, जिसकी कुल कीमत ₹ 23.13 लाख थी, की अग्रेतर भण्डारण हानि हुई। निरन्तर भण्डारण हानि होने के बावजूद निगम ने न तो इसके कारणों की छानबीन की और न ही कमियों को समाप्त करने हेतु कोई पहल किया।

त्रुटिपूर्ण संरक्षणात्मक कार्रवाई

डनेज एवं अन्य धुम्रीकरण पदार्थों का उपयोग मापदण्ड से काफी कम था जो गोदामों, खाद्यान्नों एवं अन्य रखे हुए स्टॉक को हानि पहुँचा सकता है। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक भण्डारण के परिकल्पित उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकी।

टैरिफ एवं विपत्रीकरण

एफ0सी0आई0 द्वारा संशोधित विपत्रों को निर्गत नहीं करना

बढ़े हुए संशोधित दर (अप्रैल 2009 से प्रभावी) पर भण्डारण शुल्क के ₹ 3.16 करोड़ के बकाया विपत्र सात केन्द्रों द्वारा नहीं भेजा गया था (अगस्त 2013)।

इफको से संशोधित टैरिफ की वसूली नहीं होना

संशोधित दरों पर बकाया विपत्रों का निर्गमन यद्यपि निगम द्वारा किया गया था, इफको द्वारा बढ़े हुए दर को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं कर टैरिफ आदेश प्राप्ति के अगले माह से लागू किया गया था। इसके फलस्वरुप ₹ 44.04 लाख (जुलाई 2013) की वसूली निगम को नहीं हो पाई थी।

गोदामों का निर्माण

केन्द्रीय/राज्य योजना

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0के0वी0वाई0)

सरकार ने सात स्थानों पर कुल क्षमता 50,000 हजार एम0टी0 के 10 गोदामों के निर्माण हेतु आर0के0वी0वाई0 के अन्तर्गत 2007–08 एवं 2008–09 में ₹ 26.30 करोड़ संस्वीकृत किया। तथापि, सात महीनों में पूर्ण होने की नियत अवधि के विरुद्ध केवल आठ गोदामों का निर्माण 18 से 40 महीनों के विलम्ब से पूर्ण हुआ था।

स्व–योजना के अन्तर्गत

निगम के कार्यकारिणी समिति ने दो केन्द्रों (कस्बा–6000 एम0टी0 और मुजफ्फरपुर–4310 एम0टी0) पर दो गोदामों का निर्माण अपनी निधि से कराने हेतु ₹ 6.43 करोड़ संस्वीकृत किया तथापि सात महीनों में पूर्ण होने की नियत अवधि के विरुद्ध गोदामों का निर्माण 19 से 21 महीनों के विलम्ब से पूर्ण हुआ।

वित्तीय प्रबन्धन

लेखाओं का अन्तिमीकरण नहीं होना

निगम ने अपनी वार्षिक लेखाओं का अन्तिमीकरण वर्ष 2009–10 तक ही किया है जबकि वर्ष 2010–11 से 2012–13 की अवधि हेतु लेखाओं का अन्तिमीकरण होना अभी भी शेष था। लेखाओं के अन्तिमीकरण करने में विलम्ब का परिणाम गबन सहित वित्तीय अनियमितता का जोखिम हो सकता है।

त्रुटिपूर्ण मानव–शक्ति नियोजन

31 मार्च 2013 को 493 स्वीकृत पद के विरुद्ध निगम की कार्यकारी शक्ति 206 कर्मचारी की थी जिसमें से 153 कर्मचारी वर्ग 'घ' कर्मचारी चपरासी सह सफाईकर्मी, (पी0सी0डी0ओ0), चालक इत्यादि थे। अधीक्षकों का पदस्थापन गोदाम प्रभारी के रुप में आवश्यक था, परन्तु मानव–शक्ति की अत्यधिक कमी के कारण जोखिम से भरे भण्डार गृहों का प्रभार निचले संवर्ग के कर्मी यथा 23 एस0डब्ल्यू0सी0 में सहायकों एवं 14 एस0डब्ल्यू0सी0 में पी0सी0डी0ओ0/दफ्तरियों/रिकॉर्ड कीपरों को दी गई अपितु, प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

आन्तरिक नियन्त्रण

निगम के पास कार्यात्मक अथवा संचालन नियमावली नहीं है और न ही इसके पास अपनी लेखा नियमावली है। आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को, निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था। 2008–13 की अवधि में 30 एवं 60 आवश्यक बैठकों के विरुद्ध अनियमित अन्तराल पर क्रमशः निदेशक–मण्डल की 18 एवं कार्यकारिणी समिति की केवल 10 बैठकें आहूत की गई थी। निगम ने प्रभावी अनुश्रवण हेतु सूचनाओं/आँकड़ों के संग्रहण, समेकितिकरण एवं विश्लेषण हेतु किसी विस्तृत प्रबन्धन सूचना प्रणाली की व्यवस्था नहीं की थी। अभिलेख पुस्तकों का भी समूचित संधारण नहीं किया गया था। अभिलेखों का संधारण भी सही तरह से नहीं किया गया था।

निष्कर्ष

निगम के पास गोदामों के निमार्ण हेतु कोई समुचित योजना नहीं थी। प्राथमिक उत्पादनकर्ताओं को भण्डारण सुविधा प्रदान करने के मूल उद्देश्य की प्राप्ति में निगम विफल रहा। निगम की भण्डारण गतिविधियाँ त्रुटिपूर्ण थी चूँकि स्टॉक की चोरी, फीफो के अनुपालन नहीं होने इत्यादि कारणों से निगम को हानि हुई। इसके अतिरिक्त टैरिफ की त्रुटिपूर्ण प्रयुक्ति, त्रुटिपूर्ण विपत्रीकरण एवं प्राप्य राशियों की वसूली नहीं होने के दृष्टांत पाए गए। वित्तीय प्रबन्धन, आन्तरिक नियंत्रण एवं एम0आई0एस0 त्रुटिपूर्ण था।

अनुशंसाएँ

निगम को गोदामों के निर्माण हेतु परिप्रेक्ष्य योजना बनाना चाहिए एवं गोदामों के ससमय निर्माण को सुनिश्चित करना चाहिए, वैज्ञानिक भण्डारण व स्टॉक के निर्गमन को सुनिश्चित करना चाहिए, समय पर विपत्र बनाना चाहिए एवं इसकी वसूली का अनुसरण करना चाहिए, नियन्त्रण पंजी को अद्यतन एवं पूर्ण रखना चाहिए, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली को सशक्त करना चाहिए एवं एम0आई0एस0 का सुधार करना चाहिए।

(अध्याय - III)

4. कार्य सम्पादन पर लेखापरीक्षा प्रेक्षण

प्रतिवेदन में सम्मिलित किए गए कार्य सम्पादन पर लेखापरीक्षा प्रेक्षण, लोक उपक्रमों के प्रबन्धन की त्रुटियाँ, जिनके परिणामस्वरूप गम्भीर वित्तीय अनियमितताएँ हुई, को मुख्य रूप से दर्शाती है। इंगित की गई अनियमितताएँ मुख्यतः निम्न प्रकार की हैं:

नियमों, दिशा–निर्देशों, प्रक्रियाओं, संविदाओं के नियमों एवं शर्तों के अनुपालन नहीं होने से पाँच मामलों में ₹ 5.09 करोड़ की हानि/वसूल नहीं होना।

(कंडिकाएँ 4.1, 4.2, 4.5, 4.6 एवं 4.7)

संगठन की वित्तीय हितों की रक्षा नहीं करने से तीन मामलों में ₹ 60.86 करोड़ की हानि।

(कंडिकाएँ 4.3, 4.4 एवं 4.11)

त्रुटपिूर्ण/अपूर्ण नियोजन के कारण तीन मामलों में ₹ 10.74 करोड़ की हानि।

(कंडिकाएँ 4.8, 4.9 एवं 4.10)

कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षाओं का सारांश निम्न प्रकार है:

संविदा माँग को कम करने से सम्बन्धित टैरिफ आदेश के प्रावधानों का साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा अनुपालन नहीं करने के फलस्वरूप उपभोक्ता को अनुचित लाभ मिला एवं कम्पनी को ₹ 1.19 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

(कंडिका 4.1)

बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड ने कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन नहीं कर इनके उल्लंघन में मुख्यमंत्री राहत कोष में ₹ दो करोड़ का अनियमित अंशदान दिया।

(कंडिका 4.6)

डगमारा जल–विद्युत परियोजना से सम्बन्धित अर्न्तराष्ट्रीय मुद्दों के सत्यापन में विफलता एवं केन्द्रीय जल आयोग की मार्दर्शिका के उल्लंघन में डी0पी0आर0 तैयार करने हेतु कार्यादेश प्रदान करने के फलस्वरूप बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड ने ₹ 1.50 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

(कंडिका 4.8)

डोभा जल विद्युत परियोजना के मामले में कम्पनी द्वारा त्रुटिपूर्ण नियोजन के फलस्वरूप ₹ 0.31 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड द्वारा मिथ्या व्यय प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर नाबार्ड ऋण के अग्रेतर किस्तों का अनियमित आहरण हुआ।

(कंडिका 4.9)

कर–दायित्व के समुचित निर्धारण हेतु समुचित प्रणाली विकसित करने में बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम (प्राइवेट) लिमिटेड एवं बिहार राज्य बिवरेज निगम लिमिटेड की विफलता के कारण अग्रिम आयकर का भुगतान नहीं हुआ जिसके फलस्वरूप ₹ 1.64 करोड़ के ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ।

(कंडिका 4.11)

(अध्याय – IV)